



## भूलेख - खतौनी राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

← Back

### उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

04/August/2025 09:27:09 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से  
30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00297

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खसरा/गाटा संख्या	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (यूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	हिस्से में	क्षेत्रफल में(हे०)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

623.	1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 1404 2024114600766001462 फ / 06-10-2024 / वरासत	<b>623.</b> <b>(1246210623900112)</b>	<b>0.1310</b>	1) -	1) <b>0.0873</b> 2) 1/3 2) <b>0.0437</b>	3.95
	2) दयाशंकर / बस्तीराम / गाव- भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश	2) राजस्व निरीक्षक / 202512462100003 / 04-02-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) 3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202501010103090 / 24-04-2025 / विक्रय					

**0.1310**

कुल गाटे : एक    कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक तीन एक शून्य (हेक्टेयर)    कुल भू-राजस्व : तीन दशमलव नौ पांच रुपये    कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक तीन एक शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/ पिता-पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2024114600766001462 / 06-10-2024 / वरासत / ASHOK KUMAR () / 16- 10-2024	1.1) बस्तीराम/ फूली/भाडई ( : 0.0000)  2.1) गनेशीलाल जारोलिया/ बस्तीराम/गाव- भाडई पोस्ट-	623. (1246210623900112)	1.1) 0.1310  2.1) 0.0437  2.2) 0.0436  2.3) 0.0437	1.1) गनेशीलाल जारोलिया / बस्तीराम / गाव-भाडई पोस्ट- ककुआ जिला-	623. (1246210623900112)	1.1) 0.0437  1.2) 0.0436  1.3) 0.0437  2.1) 0.0436

04-02-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) / ASHOK KUMAR () / 09-02-2025	ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश ( : 0.0000)	3.1) 0.0436	आगरा उत्तर प्रदेश	2.2) 0.0437
3) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202501010103090 / 24-04-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 27- 05-2025	2.2) दयाशंकर/ बस्तीराम/गाव- भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश ( : 0.0000)	3.2) 0.0437	1.2) दयाशंकर / बस्तीराम / गाव- भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश	2.3) 0.0437
	2.3) हरिओम/ बस्तीराम/गाव- भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश ( : 0.0000)		1.3) हरिओम / बस्तीराम / गाव-भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश	
	3.1) गनेशीलाल जारोलिया/ बस्तीराम/गाव- भाडई पोस्ट- ककुआ जिला- आगरा उत्तर प्रदेश ( : 0.0000)		2.1) गनेशीलाल जारोलिया / बस्तीराम / गाव-भाडई पोस्ट-	

3.2) हरिओम/  
बस्तीराम/गाव-  
भाडई पोस्ट-  
ककुआ जिला-  
आगरा उत्तर  
प्रदेश ( :  
0.0000)

ककुआ  
जिला-  
आगरा  
उत्तर प्रदेश

2.2)  
दयाशंकर  
/ बस्तीराम  
/ गाव-  
भाडई  
पोस्ट-  
ककुआ  
जिला-  
आगरा  
उत्तर प्रदेश

2.3)  
हरिओम /  
बस्तीराम /  
गाव-भाडई  
पोस्ट-  
ककुआ  
जिला-  
आगरा  
उत्तर प्रदेश

3.1)  
आगरा  
विकास  
प्राधिकरण

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.**



न्यायालय :- तहसीलदार  
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा  
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010103090  
वाद संख्या:- 3090/2025  
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम हरिओम  
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34  
" अंतिम आदेश "  
आदेश तिथि:- 24/04/2025

वाद सं० ज्202501010103090/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम हरिओम आदि

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0436हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने हरिओम आदि से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0436हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00297 के गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0436हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता हरिओम पुत्र बस्तीराम व गनेशीलाल जारोलिया पुत्र बस्तीराम जारोलिया निवासीगण ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके



स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 4365000/-रू0 आवेदन संख्या-202500766012018 दिनांक 20.02.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"





न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010104774

वाद संख्या:- 4774/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम हरिओम व गनेशीलाल

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/06/2025

वाद सं० ज्202501010104774/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम हरिओम

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0437 हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा हरिओम से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0437 हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00297 के गाटा संख्या 623 रकवा 0.1310हे० मे से 1/2 भाग यानि रकवा 0.0437 हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता हरिओम पुत्र श्री बस्तीराम व गनेशीलाल जारोलिया पुत्र श्री बस्तीराम जारोलिया निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्था पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 4365000/-रु० आवेदन संख्या-202500766012018 दिनांक 22.02.2025 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-



तहसीलदार (सदर)  
आगरा।

**Disclaimer :**

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"